

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
234/2025

दायर दिनांक
01.05.2025

निर्णय दिनांक
05.06.2025

1. कालु पुत्र मांगु बैरवा, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज

बनाम

-प्रार्थी

1. भैरु पुत्र नारायण बैरवा, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
2. रूपा पुत्र गोकल बैरवा, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
3. रामलाल पुत्र मागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
4. सूरजमल पुत्र गोकल बैरवा, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
5. प्रेमचंद पुत्र मांगी लाल रेगर, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
6. मूलचंद पुत्र प्रताप रेगर, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
7. मिटू पुत्र मांगी लाल रेगर, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
8. नारायण पुत्र हीरा जाट, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
9. मुकेश पुत्र हीरा जाट, निवासी बोरडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रकाश देवाणी उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

--- विपक्षीगण

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरडा पटवार क्षेत्र गटिलाखेडा भू.अभि.नि.क्षे आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि खसरा संख्या 466/1 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, खसरा संख्या 468/1 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 470/1 रकबा 08978 हेक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, खसरा संख्या 472/1 रकबा 0.1770 हेक्टेर, कुल किता 6 रकबा 1.7324 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को जरूर नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमावन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरडा पटवार क्षेत्र गटिलाखेडा भू.अभि.नि.क्षे आटुण तहसील व जिला भीलवाडा में दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि खसरा संख्या 466/1 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, खसरा संख्या 468/1 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 470/1 रकबा 0.8978 हेक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, खसरा संख्या 472/1 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, कुल किता 6 रकबा 1.7324 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह-चण्डावत)

तहसीलदार
भीलवाडा